न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 96/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 3.8.2017

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. भैरूलाल आत्मज मडिया जाति बैरवा निवासी भीमगंज तहसील नैनवा।
2. लक्ष्मीनारायण आत्मज मडिया जाति बैरवा निवासी भीमगंज तहसील नैनवां जिला बूंदी।

... अपीलाट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री के0 डी0 दाधीच अभिभाषक अपीलाट्स
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:::निर्णय:::

दिनांक 27.3.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैंनवा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 155/15 अन्तर्गत धारा 136 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान भैरू बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 17.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि ख0 नं0 342/407 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड मे गलत जगह पर तरमीम करदी गई है जिसे दुरूस्त कर कब्जे के आधार पर नक्शे मे तरमीम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी जिस भूमि की तरमीम चाहता है वह अन्य व्यक्तियों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने से तरमीम नही की जा सकती है मानते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निर्णय दिनांक 17.5.2017 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व तथ्यो के विपरीत है क्योंकि उक्त निर्णय करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई तथा ना ही सुनवाई का अवसर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। ख0 नं0 342/407 रकबा 3 बीधा 5 बिस्वा भूमि के जिस भाग पर अपीलांट का कब्जा है कब्जे के आधार पर नक्शे मे तरमीम हेतु निवेदन किया था, कब्जे की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट से भी होती है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.5.2017 निरस्त किया जावे तथा कब्जे के आधार पर अपीलांट की भूमि का नक्शे मे तरमीम करने का आदेश प्रदान किया जावे विकल्प मे प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.4.2017 से स्पष्ट है कि उक्त नियत तिथी को पत्रावली साक्ष्य प्रार्थी मे जेरकार थी तथा साक्ष्य हेतु आगामी तिथी 17.5.2017 नियत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियत तिथी को अपीलांट को सूचना व सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना राजस्व लोक अदालत केम्प सीमोला मे अपीलांट की अनुपस्थिति मे प्रकरण मे निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.5.2017 पर गौर नही किया उक्त रिपोर्ट मेरे पक्ष की है जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को कब्जे के आधार पर तरमीम करने का आदेश पारित करना चाहिये था। लोक अदालत मे केवल राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई गोर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसकी खातेदारी की भूमि ख0 नं0 342/407 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड मे गलत जगह पर तरमीम होने से दुरूस्त कर कब्जे के आधार पर नक्शे मे तरमीम करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी जिस भूमि की तरमीम चाहता है वह अन्य व्यक्तियों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने से तरमीम नही की जा सकती है, मानते हुये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निर्णय दिनांक 17.5.2017 से खारिज कर दिया। प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि आदेशिका दिनांक 26.4.2017 से स्पष्ट है कि उक्त तिथी को पत्रावली साक्ष्य प्रार्थी मे जेरकार थी तथा साक्ष्य हेतु आगामी तिथी 17.5.2017 नियत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियत तिथी को अपीलांट को सूचना व सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगेर तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.5.2017 पर गौर किये बिना प्रकरण मे राजस्व लोक अदालत केम्प सीमोला मे अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट के उक्त तर्क की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.4.2017 एवं पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.5.2017 से होती है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 17.5.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रकरण अपीलांट/पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नैंनवा द्वारा बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 155/15 अन्तर्गत धारा 136 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान भैरू बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 17.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर, राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण करते हुये पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा